

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024—पौष 15, शक 1945

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

क्र. एफ 4-2-2022-दस-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एदत्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा (भर्ती) नियम, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची—तीन के स्थान पर, निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची—“तीन”

[नियम-9 (4) देखिये]

मध्यप्रदेश राज्य वन सेवा

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा वेतनमान जिसमें भरती द्वारा नियुक्ति की जाएगी	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वन विभाग	म.प्र. राज्य वन सेवा, सहायक वन संरक्षक (कनिष्ठ वेतनमान)	21 वर्ष	40 वर्ष	अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान/ इंजीनियरिंग/ तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि.

2. उक्त संशोधन दिनांक 1 जनवरी 2021 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

No. F-4-2-2022-X-1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh, State Forest Service (Recruitment) Rules, 1977, Namely:-

AMENDMENT

In the said rules, for Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-“III”

[See Rule-9(4)]

MADHYA PRADESH STATE FOREST SERVICE

Name of the Department	Name of the Service, Post and Pay Scale where in the appointment shall be made by recruitment	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Forest Department	Madhya Pradesh State Forest Service, Assistant Conservator of Forests, (Junior Scale)	21 Years	40 Years	A candidate must possess bachelor's degree in any branch of Science/Engineering/Technical from a recognized University.

2. The above amendment shall be deemed to have come into force from 1st January 2021.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहित बुंदस, उपसचिव.